

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

- केली बाई बेवा धूली लाल मृतक जरिये कायम मुकामान-
 - 1/1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोहनलाल
 - 1/2. नन्दशंकर पुत्र मोहनलाल
 - 1/3. हरिओम पुत्र मोहनलाल जाति गूजर निवासीगण चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा

- वादीगण

बनाम

- काली बाई पुत्री मांगीलाल जाति गूजर निवासी कोटसुवां हाल देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर-165/04 एवं 174/04


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री बलराम शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि " वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 389 रकबा 1.38 हे0, ख0नं0 393 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 394 रकबा 0.42 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.12 हे0 भूमि जिसके वर्तमान ख0नं0 1078 रकबा 1.97 हे0 भूमि का वादीगण (राजेन्द्र प्रसाद, नन्दशंकर, हरिओम पुत्रान मोहनलाल) को खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 82 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 514 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 516 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.50 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 काली बाई को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी के पक्ष में रकबा 0.26 हे0 भूमि अधिक दर्ज की जा रही है। अतः रकबा 0.26 हे0 भूमि की नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क प्राप्त कर पालना की जावें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 08.02.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे

स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


 (तारमती वैष्णव)
 उपखण्ड अधिकारी,
 दीगोद